नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मियों हेतु

आदर्श आचार संहिता

राज्य निर्वाचन आयोग

(पंचायत एवं नगरीय निकाय)

उत्तर प्रदेश

भारत के संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप नगरीय निकायों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया है, बल्कि प्रत्येक पाँच वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यक के अन्तर्गत नगरीय निकायों के निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निदेशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। नगरीय निकाय निर्वाचनों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता की संरचना करते हुए उसे प्रभावी रूप से लागू कर चुनाव सम्पन्न कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अतः संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य की नगरीय निकायों के निर्वाचन सम्पादित कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता तैयार की गई है जो नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2017 के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों आदि पर लागू होगी।

आदर्श आचार संहिता के प्रावधान भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों में हैं। इनका उल्लंघन उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दंडनीय है।

संविधान के अनुच्छेद 243यक, उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 तथा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। यह आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के समय से प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वतः लागू होगी और निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, अतः ग्रामीण क्षेत्रों के कोई भी विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होंगे।

1– <u>सामान्य आचार संहिताः–</u>

(1) सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म (मज़हब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।

(ख) किसी भी राजनीतिक दल/उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी।

(ग) मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा।

(घ) पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा।

(ङ) सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण/अपराध माने गये हैं, जैसेः–

(1) किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना,

(2) मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना,

(3) मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बॉटना।

2– चुनाव प्रचारः–

सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) किसी अन्य राजनीतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे, न ही इसका समर्थन करेंगे।

(ख) निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे।

(ग) किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा।

(घ) चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झंडा लगाने/झंडियां टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं/एजेण्ट को ऐसा करने देंगे।

(ङ) किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन, वाल

राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे।

(च) अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाये गये झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियमसंगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे।

(छ) चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे।

(ज) चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नहीं स्थापित किये जायेंगे।

(झ) टी.वी. चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे।

(ट) कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकापी भी सम्मिलित होगी।

(ठ) किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं करायी

जायगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा0द0सं0 की धारा 171–H के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

3– <u>सभाएं एवं जुलूसः–</u>

सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान सभा एवं जुलूस के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) सभा/रैली/जूलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे।

(ख) किसी अन्य राजनीतिक दल/उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे।

(ग) सभा/रैली/जूलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।

(घ) जुलूसों, सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे/लाठी–डण्डे/ईंट–पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे।

(ङ) सभा/रैली/जूलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। रात के 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जायगा।

(च) मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टी.वी./केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार/विज्ञापन भी सम्मिलित होगा।

चुनाव प्रचार के दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता हैः–

निर्वाचन के प्रचार–प्रसार के दौरान राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के लिए मुख्य दिशा–निर्देश निम्नवत् हैंः–

(1) निर्वाचन के प्रचार–प्रसार के दौरान कोई भी दल या उम्मीदवार ऐसे किसी क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं होगा जिससे विद्यमान मनमुटाव में वृद्धि होने की सम्भावना हो या पारस्परिक घृणा उत्पन्न होने की सम्भावना हो या विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के मध्य धार्मिक या भाषायी तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना हो। जब भी अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए तब उनकी आलोचना, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के पूर्व कार्यों तक सीमित रहनी चाहिए। राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के ऐसे समस्त पहलुओं पर आलोचना करने से बचना होगा जो अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित न हों। अपुष्ट आरोपों या तोड़–मरोड़ वाले बयानों पर आधारित अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना किए जाने से बचना होगा।

निर्वाचन प्रचार–प्रसार के लिए धार्मिक स्थलों का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध है। मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग निर्वाचन प्रचार–प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। मत प्राप्त करने के लिए जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी।

(2) कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके जुलूस के साथ

रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मी0 परिधि के बाहर तक जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है (जिसमें उम्मीदवार भी सम्मिलित है)।

(3) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत किए गए समय पर उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक और उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में सम्यक् प्रकार से प्राधिकृत किया गया एक अन्य व्यक्ति (जो अधिवक्ता हो सकता है) उपस्थित हो सकते हैं।

(4) सुरक्षा आवरण प्राप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए राज्य स्वामित्वाधीन एक बुलेट प्रूफ वाहन का प्रयोग करने की अनुमति ऐसे समस्त मामलों में होगी जहाँ अभिसूचना प्राधिकारियों सहित सुरक्षा एजेन्सी द्वारा इस प्रकार का उपयोग विहित किया गया हो। ''स्टैण्ड–बाई'' के नाम पर अधिक संख्या में कारों के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट न किया जाए। पायलट, इस्कॉर्ट आदि सहित काफिले में चलने वाले वाहनों की संख्या सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुसार होगी। सरकार के स्वामित्वाधीन और किराये पर लिए गए समस्त वाहनों को चलाए जाने की लागत का वहन, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(5) किसी नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार 05, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 02, नगर निगम के पार्षद पद के

उम्मीदवार 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार 01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार–प्रसार के लिए करा सकते हैं किन्तु उन्हें ऐसे वाहनों के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा और उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मूल रूप में (न कि फोटो प्रतिलिपि में) जारी किए गए परमिट को वाहन के विन्डस्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। उक्त परमिट पर उस उम्मीदवार की वाहन संख्या और उसका नाम अंकित करना होगा जिसके पक्ष में परमिट जारी किया गया हो।

(6) निर्वाचन के प्रचार–प्रसार के लिए जिस उम्मीदवार के लिए वाहन का परमिट जारी किया गया है, यदि उस वाहन का प्रयोग कोई दूसरा उम्मीदवार करता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171H के अधीन दण्डनीय अपराध है।

(7) निर्वाचन प्रचार अवधि में जुलूस निकाले जाने हेतु नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार के लिए 15, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 10, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 05, नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए 05, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए 03 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए 02 वाहन सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रयोग किए जा सकते हैं। विशेष परिस्थिति में

यदि इससे अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् प्रयोग कर सकते हैं।

(8) जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निर्वाचन प्रचार–प्रसार के प्रयोजनों के लिए किसी वाहन का प्रयोग करने पर उम्मीदवार द्वारा प्रचार–प्रसार किए जाने के लिए अनधिकृत मान लिया जाएगा और उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय–IXA के दाण्डिक उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। ऐसे वाहन को निर्वाचन प्रचार–प्रसार के कार्य से तत्काल बाहर कर दिया जाएगा तथा उसका उपयोग अग्रतर प्रचार–प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा।

(9) राजनैतिक प्रचार–प्रसार और रैलियों हेतु प्रांगण सहित शैक्षणिक संस्थाओं (सरकारी सहायता प्राप्त, निजी अथवा सरकारी संस्थाएं हों) के उपयोग पर प्रतिबंध है।

(10) लाउडस्पीकर लगाए जाने सहित वाहनों में वाह्य (External) परिवर्तन किया जाना मोटर वेहिकिल एक्ट/रूल्स के उपबंधों के अधीन होगा। परिवर्तित वाहनों और विशेष प्रचार–प्रसार वाले वाहनों यथा वीडियो रथ आदि का प्रयोग, मोटर वेहिकिल एक्ट के अधीन सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

(11) निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने हेतु प्रचार–प्रसार कार्यालय के लिए सरकारी विश्रामगृहों या डॉक बंगलों के उपयोग पर प्रतिबंध है।

(12) सरकारी विश्राम गृहों या डॉक बंगलों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का कोई एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे विश्रामगृहों या डाकबॅगलों के प्रयोग की अनुमति अन्य दलों तथा उम्मीदवारों को भी होगी और यह अनुमति प्रदान करने का अधिकार सम्बन्धित जिलाधिकारी को होगा। किन्तु किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार को प्रचार–प्रसार के कार्यालय के रूप में प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

अग्रतर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि–

(एक) कोई भी कार्यकर्ता, प्रचार–प्रसार कार्यालय गठित करने के लिए सर्किट हाउस और डॉक बंगला का प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि सर्किट हाउस और डॉक बंगले, ऐसे कार्यकर्ताओं के आने जाने के दौरान केवल अस्थायी रूप में ठहरने के स्थल (खान–पान और आवास) होते हैं।

(दो) सरकारी अतिथिगृहों आदि के परिसरों के अन्दर राजनैतिक दलों के सदस्यों द्वारा आकस्मिक बैठक किए जाने की अनुमति नहीं होगी और इसका किसी प्रकार उल्लंघन किया जाना, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाना समझा जाएगा।

(तीन) ऐसे व्यक्ति जिन्हें केवल अतिथिगृह में निवास करने के लिए कक्ष आवंटित हुआ है उन्हें ले जाने वाले वाहन तथा अनधिक दो और वाहनों, यदि उक्त व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाए, को अतिथिगृह के परिसर के अन्दर ले जाने की अनुमति होगी।

(चार) किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार की अवधि में 48 घण्टे से अधिक समय के लिए कक्षों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और

(पाँच) किसी विशिष्ट क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पहले और मतदान या पुनर्मतदान समाप्त होने तक इस प्रकार के आवंटनों पर प्रतिबंध रहेगा।

(13) उम्मीदवार किसी सार्वजनिक सम्पत्ति या सार्वजनिक स्थल पर सम्बन्धित दल या उम्मीदवार के पोस्टर, पर्ची, बैनर और झण्डे आदि को प्रदर्शित नहीं कर सकता है।

(14) यदि स्थानीय विधि/उपविधियों के अनुसार दीवार पर लिखने और पोस्टर चिपकाने, निजी परिसरों/सम्पत्तियों पर होर्डिंग तथा बैनर आदि लगाने की अनुमति है तो ऐसे परिसरों/सम्पत्तियों के स्वामी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पत्तियों/परिसरों के स्वामी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करे और ऐसी अनुमति की छायाप्रति रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ पदाभिहित अधिकारी को तीन दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(15) उम्मीदवार मोटर वेहिकिल एक्ट के उपबन्धों के अधीन जुलूस के दौरान वाहन पर अपने दल/या अपना स्वयं का एक पोस्टर/विज्ञापन/बैनर/झण्डा प्रदर्शित कर सकता है/ले जा सकता है।

(16) राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा, पर्यावरण संरक्षण के हित में, प्लास्टिक/पॉलिथीन के पोस्टर एवं बैनर आदि का प्रयोग किए जाने पर प्रतिबंध है।

(17) उम्मीदवार ऐसे किसी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं कराएंगे जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित न हो।

(18) मतदाताओं को शिक्षित करने के प्रयोजनार्थ उम्मीदवार द्वारा डमी ई0वी0एम0 बैलेट यूनिट तैयार करायी जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान में उपयोग हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली बैलेट यूनिट के आकार से आधे भाग के बराबर, डमी बैलेट यूनिटों का निर्माण कराया जा सकता है जो लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाईबोर्ड के बॉक्सों से निर्मित होंगी और जिन्हें भूरे, पीले या ग्रे रंग में रंगा जा सकता है।

(19) उम्मीदवार, मतदान पूरा होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे की अवधि के दौरान सिनेमा, दूरदर्शन या अन्य समान माध्यमों से जनता के लिए कोई निर्वाचन सम्बन्धी विषय–वस्तु प्रदर्शित नहीं कर सकता है।

(20) कोई उम्मीदवार अपनी मूर्ति या देवी/देवताओं आदि की मूर्तियों के चित्रण से युक्त डायरी/कैलेण्डर/स्टीकर का मुद्रण और वितरण नहीं कर सकता है। इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–E के अन्तर्गत रिश्वत देना माना जाएगा।

(21) दल/उम्मीदवार के चुनाव चिह्न से युक्त मुद्रित किए हुए "स्टेपनी कवर" या अन्य समान सामग्रियों का अथवा बिना उन्हें चित्रित किए हुए वितरण किया जाना प्रतिबन्धित है। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि ऐसी सामग्रियों का वितरण किया गया है तो जिला प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 171–B के अन्तर्गत एरिया मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज किया जा सकता है।

(22) राजनैतिक दल या उम्मीदवार द्वारा अस्थायी कार्यालयों को सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर/किन्हीं धार्मिक स्थलों में या ऐसे धार्मिक स्थलों के परिसर में/किसी विद्यमान मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर/किसी शैक्षिक संस्था/चिकित्सालय के सन्निकट अतिक्रमण करके नहीं खोला जा सकता है। ऐसे कार्यालय, दलीय चुनाव चिह्न/फोटोग्राफ सहित केवल एक दल का झण्डा और बैनर प्रदर्शित कर सकते हैं तथा ऐसे कार्यालयों में प्रयुक्त बैनर के आकार की माप '4 फीट X 8 फीट' से अधिक नहीं होगी।

(23) प्रचार प्रसार की अवधि (मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से प्रारम्भ होने वाली) समाप्त होने के पश्चात् ऐसे राजनैतिक पदाधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र में निरन्तर उपस्थित नहीं रहना चाहिए जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हों और जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता न हों। ऐसे पदाधिकारियों को प्रचार–प्रसार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। यह, उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मामले में लागू नहीं होगा भले ही वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता न हों।

(24) ऐसे किसी राजनैतिक दल के पदाधिकारी, जो राज्य में निर्वाचन प्रभारी हों, को राज्य मुख्यालय में अपने प्रवास स्थल की घोषणा करनी होगी और प्रश्नगत अवधि के दौरान उसकी गतिविधि सामान्यतः उसके दलीय कार्यालय और उसके प्रवास स्थल के मध्य तक सीमित रहेगी।

(25) मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे से पूर्व प्रारम्भ होने वाली अवधि के पहले प्रचार हेतु जुलूस निकालने और किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे से पूर्व प्रारम्भ होने वाली अवधि में जुलूस निकालने और किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के उपरान्त विजय जुलूस निकालने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

(26) सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना सार्वजनिक सभा करने या जुलूस निकालने या सामान्य प्रचार–प्रसार करने के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(27) लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नहीं किया जा सकता है।

(28) सार्वजनिक सभाएं, रात्रि 10:00 बजे के पश्चात् और प्रातः 6:00 बजे के पूर्व नहीं की जा सकती हैं। कोई भी उम्मीदवार मतदान पूरा होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता है और जुलूस नहीं निकाल सकता है। मान लीजिए मतदान दिवस 15 जुलाई को है और मतदान का समय प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक है तो सार्वजनिक सभाएं और जुलूस 13 जुलाई को सायं 5:00 बजे तक बन्द हो जायेंगे।

(29) राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा सफेद कागज पर जारी की जाने वाली अन–आफिशियल पहचान पर्ची में निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता का विवरण अर्थात् मतदाता का नाम, क्रम संख्या, भाग संख्या, मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम तथा मतदान का दिनाँक अंकित होगा। इस पर्ची में उम्मीदवार का नाम, उसका फोटो और चुनाव चिह्न अंकित नहीं होना चाहिए।

(30) निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के रूप में किसी मंत्री/संसद–सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य या सुरक्षा आवरण प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने पर प्रतिबन्ध है। कोई उम्मीदवार किसी मंत्री/संसद–सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य या सुरक्षा आवरण प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है क्योंकि इस प्रकार की नियुक्ति किए जाने पर उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उसके सुरक्षाकर्मियों को किसी भी परिस्थिति में मतदान केन्द्रों से 100 मीटर की परिधि में और मतदान बूथ तथा मतगणना केन्द्र के परिसर एवं मतगणना केन्द्र के अन्दर उसके साथ जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा आवरण वाले किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार के ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपने सुरक्षा आवरण को समर्पित करने की भी अनुमति नहीं होगी।

(31) उम्मीदवार द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को केवल

सम्बन्धित मतदान केन्द्र के क्षेत्र का सामान्यतः निवासी होना चाहिए न कि सम्बन्धित मतदान केन्द्र के क्षेत्र से बाहर का। ऐसे व्यक्ति के पास फोटो पहचान पत्र होना भी आवश्यक है।

(32) निर्वाचन के प्रथम चरण में मतदान समाप्त होने के लिए नियत अवधि से 48 घण्टे पूर्व में प्रारम्भ होने वाली अवधि और समस्त चरणों का मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी ओपीनियन पोल या इक्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन, प्रचार–प्रसार या प्रसारण किसी भी रूप में प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा नहीं किया जाएगा।

(33) निर्वाचन के दौरान एस0एम0एस0 पर आपत्तिजनक सन्देशों का प्रेषण किया जाना प्रतिबन्धित है।

4– मतदान दिवस पर राजनीतिक दल/उम्मीदवार/ अभिकर्ता से अपेक्षाः–

मतदान के दिन सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/ एलेक्शन एजेण्ट निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे।

(ख) फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसायेंगे, न ही मदद करेंगे।

(ग) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध करायेंगे।

(घ) वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे।

(ङ) मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, न ही वोट मांगेंगे।

(च) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे।

(छ) मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे।

(ज) आपराधिक दुराचरण से ई.वी.एम. को क्षति पहुँचाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य नहीं करेंगे।

(झ) मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जायेंगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा।

(ट) मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे। उस पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायगी एवं न ही खाद्य पदार्थ दिये जायेंगे।

(ठ) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/प्रेक्षक/निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/मतदान कार्मिक/प्रत्याशी/एलेक्शन एजेण्ट/पोलिंग एजेण्ट/मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।

(ड) मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जिले का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देगा।

(ढ) सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे।

5— <u>सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण या व्यवहारः—</u>

सत्ताधारी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/एलेक्शन एजेण्ट चुनाव के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः—

(क) किसी भी सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के निरीक्षण गृह, डाक बंगला या अन्य किसी विश्रामगृह का प्रयोग चुनाव प्रचार अथवा चुनाव कार्यालय के लिए नहीं करेंगे।

(ख) निर्वाचन के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेंगे और न ही शासकीय तंत्र अथवा कर्मचारियों का उपयोग करेंगे।

(ग) निर्वाचन अवधि में सरकारी खजाने से किसी अखबार या मीडिया में नगरीय निकायों से सम्बन्धित किसी विभाग/संस्था द्वारा कोई भी विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे।

(घ) निर्वाचन अवधि में नगरीय निकायों से सम्बन्धित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा किसी भी नवीन योजना/परियोजना/कार्य/कार्यक्रम की घोषणा अथवा प्रारम्भ नहीं किया जायगा। इस सम्बन्ध में कोई भी वित्तीय स्वीकृति अथवा धनराशि अवमुक्त नहीं की जायगी। चालू परियोजना/कार्यों में जो कार्य चालू हैं और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, वे कार्य यथावत् चलते रहेंगे। चालू परियोजना/कार्य में कोई नयी वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जायगी। दैवीय आपदा एवं मानवजनित दुर्घटना में दी जाने वाली सहायता राशि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(ङ) निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद निर्वाचन संचालन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों/पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/नियुक्ति/प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त स्थानान्तरण/नियुक्ति/प्रोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही की जा सकेगी। यह प्रतिबन्ध सिर्फ उन विभागों पर लागू माना जाएगा जो सीधे तौर पर चुनाव सम्पन्न कराने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं जैसे कि राजस्व, पुलिस तथा नगर विकास। शेष विभागों में प्रोन्नति करने पर प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि

ऐसे समस्त प्रकरण जहॉ संबंधित अधिकारी को प्रोन्नत किया गया है, में यह प्रतिबन्ध अवश्य रहेगा कि उस अधिकारी का वर्तमान तैनाती के स्थान से नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2017 सम्पन्न होने तक अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। यदि कार्य हित में अथवा किसी अन्य अपरिहार्य कारणवश किसी भी प्रोन्नत अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना है तो ऐसी दशा में संबंधित विभाग आयोग की पूर्वानुमति प्राप्त करके ऐसा कर सकता है।

निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए किसी अधिकारी का स्थानान्तरण सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रवर्तित होने से पूर्व कर दिया गया हो और वह नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण न किया हो, तो वह नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता है। पूर्व की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

(च) भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केन्द्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे।

सत्ताधारी दल/सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता हैः–

(1) मंत्री अपने सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार के कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे और वे चुनाव प्रचार के कार्य के दौरान सरकारी तंत्र या कार्मिकों का उपयोग भी नहीं करेंगे।

(2) सरकारी वायुयानों और वाहनों आदि सहित किसी परिवहन का प्रयोग, किसी दल या किसी उम्मीदवार के हित को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा।

(3) केन्द्र या राज्य का कोई भी मंत्री, निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी को कहीं भी किसी सरकारी विचार–विमर्श के लिये नहीं बुला सकता है। निर्वाचन कार्य से जुड़ा ऐसा कोई अधिकारी, जो नगरीय निकाय के किसी निर्वाचन क्षेत्र के निजी दौरे पर आये हुए मंत्री से मिलता है, सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन कदाचार का दोषी होगा।

यदि कोई केन्द्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में मात्र सरकारी कार्य, जो लोक हित में अपरिहार्य हो, के लिए यात्रा कर रहा हो तो इस आशय को प्रमाणित करते हुए मंत्रालय/विभाग के सम्बन्धित सचिव द्वारा एक पत्र, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित की जाएगी।

(4) मंत्री सरकारी कार्य हेतु अपने सरकारी आवास से कार्यालय तक ही आने–जाने के लिये अपने सरकारी वाहनों का प्रयोग करने के हकदार होंगे, परन्तु यह कि इस प्रकार से आने जाने का सम्बन्ध किसी चुनाव–प्रचार या राजनैतिक गतिविधि से न हो। यह प्रतिबन्ध ग्रामीण क्षेत्रों में आने–जाने पर लागू नहीं होगा।

(5) राज्य में उस निर्वाचन क्षेत्र में मंत्री अपने मुख्यालय से राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति के यात्रा स्थल तक वी0आई0 पी0 कार और अन्य प्रोटोकाल के साथ रवाना हो सकते हैं किन्तु वे किसी अन्य राजनैतिक पदाधिकारी के साथ कार्यक्रम/बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। यह प्रतिबन्ध उनके मुख्यालय छोड़ने के समय से लेकर मुख्यालय वापस आने तक लागू रहेगा।

(6) जहॉ कोई वाहन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है या मंत्री को उक्त वाहन के अनुरक्षण के लिये

भत्ता दिया जाता है वहाँ वे ऐसे वाहनों का प्रयोग निर्वाचन प्रचार–प्रसार के लिये नहीं कर सकते हैं।

(7) मुख्यमंत्री या मंत्री सहित कोई भी राजनैतिक व्यक्ति नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित ऐसे समारोह, जिसमें सरकारी धन का प्रयोग हो, में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।

(8) मुख्यमंत्री/मंत्री/स्पीकर राष्ट्रीय पर्व या राज्य दिवस समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु वे उक्त अवसर पर कोई राजनैतिक भाषण न दें और समारोह का आयोजन केवल सरकारी पदाधिकारियों द्वारा किया जाए। मुख्यमंत्री/मंत्री/स्पीकर के फोटोग्राफ को चित्रित करने वाले किसी विज्ञापन का विमोचन नहीं किया जाएगा।

(9) राज्यपाल, मुख्यमंत्री/मंत्री नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय या संस्थान के दीक्षांत समारोह में सहभागिता कर सकते हैं और उसे सम्बोधित कर सकते हैं।

(10) विधान सभा सत्र (बजट) में राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

6. कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी कार्यों आदि के सम्बन्ध में

(1) निर्वाचन अवधि के दौरान राजकोष की लागत से प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों के सम्बन्ध में विज्ञापन और सरकारी मास–मीडिया के दुरूपयोग पर प्रतिबंध है।

(2) केन्द्र/राज्य में सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों को चित्रित/प्रचारित करने वाले होर्डिंगों/विज्ञापनों आदि को राजकोष की लागत पर जारी नहीं रखा जा सकता है। सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा प्रदर्शित किये गये ऐसे

समस्त होर्डिंगों और विज्ञापन आदि को तत्काल हटा दिया जाएगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में राजकोष की लागत पर किसी भी विज्ञापन को जारी नहीं किया जाएगा।

(3) मंत्री और अन्य प्राधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के दिनांक से विवेकाधीन निधियों से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं कर सकते हैं।

(4) यदि नगरीय निकाय क्षेत्र से सम्बन्धित किसी योजना या कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्यादेश जारी कर दिया गया है और कार्य वास्तव में प्रारम्भ न किया गया हो तथा उसके पश्चात् आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है तो उस दशा में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाएगा। यदि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व वास्तव में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हो तो उसे जारी रखा जा सकता है।

(5) किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के जारी रहने और उसके समापन तक किसी योजना के सम्बन्ध में एम.पी./एम.एल.ए./एम.एल.सी. के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन निधियों को नये सिरे से जारी नहीं किया जाएगा।

(6) किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में कोई मंत्री या अन्य कोई प्राधिकारी, किसी रूप में किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकता है और न ही वे किसी प्रकार की परियोजना या योजना का शिलान्यास कर सकते हैं। वे सड़क निर्माण, पेयजल सुविधाओं आदि के प्रावधान का कोई प्रॉमिज़ (Promise) नहीं करेंगे। चालू योजना के लिए धनराशि अवमुक्त किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(7) सूखा, बाढ़, महामारी या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करना जैसे आपातकालीन स्थितियों या दैवीय आपदाओं से निपटने अथवा वृद्ध तथा अशक्त आदि के लिये कल्याणकारी उपायों के लिए सरकार आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही कर सकती है।

(8) राजस्व संग्रह करने और वार्षिक बजट आदि के लिए प्रारूप तैयार करने की समीक्षा करने के लिए नगर–निगम, नगर पंचायत और नगर क्षेत्र समिति आदि की बैठक का आयोजन किया जा सकता है।

(9) शहीदों की शहादत को मनाये जाने के लिए राज्य स्तरीय ऐसे समारोहों का आयोजन किया जा सकता है जिनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री/मंत्री द्वारा की जाए जिनमें वे सम्मिलित हों, बशर्ते कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों का भाषण शहीदों की शहादत और उनकी प्रशंसा करने तक सीमित रहे। कोई राजनैतिक भाषण या सरकार या सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों की गणना किया जाने वाला या उनकी ओर इंगित किया जाने वाला कोई भाषण न दिया जाए।

(10) महापुरुषों के जन्मदिवस समारोह का आयोजन राजकीय समारोह के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते कि इसका प्रयोग राजनैतिक प्रचार–प्रसार या सरकार की सार्वजनिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के अवसर के रूप में न किया जाए तथा किसी प्रकार का वाह्य प्रदर्शन भी न किया जाए और कोई राजनैतिक कार्यकर्ता ऐसी बैठकों को सम्बोधित न करे। उपरोक्त प्रतिबंध ऐसे अन्य समस्त समारोहों में समान रूप से लागू होंगे।

(11) स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोह के सम्बन्ध में कवि सम्मेलन, मुशायरों या अन्य सांस्कृतिक समारोहों

का आयोजन किया जा सकता है। राजनैतिक कार्यकर्ता उनमें सम्मिलित हो सकते हैं। केन्द्रीय मंत्री/मुख्यमंत्री/राज्य के मंत्री और अन्य राजनैतिक कार्यकर्ता उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तथापि यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त अवसरों पर किसी भी राजनैतिक दल की उपलब्धियों को रेखांकित करने वाले कोई भाषण न दिए जायें।

(12) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर संवैधानिक चेतावनियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मीडिया अभियान चला सकती है, बशर्ते कि राजनैतिक व्यक्तियों आदि के फोटो/सन्देशों का सम्बन्ध उक्त अभियान से न हो।

(13) सरकार के स्वामित्व वाले बसों के टिकट के पृष्ठ भाग पर राजनैतिक विज्ञापनों का मुद्रण नहीं किया जाएगा।

(14) यदि सरकार यह समझती है कि कतिपय अपरिहार्य कारणों से किसी दोषी को पैरोल पर मुक्त करना पूर्णतः आवश्यक है तो उस स्थिति में सरकार को पैरोल की स्वीकृति देने से पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(15) सरकार आयोग से अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त किये बिना निम्नलिखित कार्यवाही कर सकती हैः—

(एक) बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में न्यूनतम दण्ड का बढ़ाया जाना,

(दो) विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर सम्मेलन का आयोजन करने के लिये उपभोक्ता कल्याण निधि से उपभोक्ता समन्वय परिषद् को अनुदानों की स्वीकृति,

(तीन) पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में विज्ञापन निर्गत किया जाना,

(चार) सूखा राहत उपाय के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य का दौरा करने के लिए इन्टरमिनिस्टिीरियल दल को नियुक्त करना,

(पॉच) विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन करके पद धारकों की पदोन्नति किया जाना और सेवानिवृत्ति तथा प्रतिनियुक्ति के कारण रिक्त होने वाले नियमित पदों को भरा जाना,

(छः) न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अनुकम्पा के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाना,

(सात) "मई दिवस" (मजदूर दिवस) समारोह का मनाया जाना,

(आठ) अन्य अधिकारी को किसी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाना,

(नौ) नैत्यिक प्रकृति के निविदाओं को आमंत्रित करना और अंतिम रूप देना, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे लोक उपयोगिता वाले कार्यों का मरम्मत किया जाना, अनुरक्षण किया जाना उनमें मजबूती प्रदान किया जाना तथा उनका विस्तार किया जाना,

(दस) क्षतिग्रस्त जलापूर्ति वितरण पाइपों का बदला जाना/उनकी मरम्मत किया जाना,

(ग्यारह) न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में बी0ओ0टी0 के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का कार्यादेश जारी किया जाना,

(बारह) छात्रसंघ के निर्वाचन का संचालन करना,

(तेरह) न्यायालय के आदेशों के अनुसार अनधिकृत संरचना/भूमि के सम्बन्ध में क्लीयरेन्स दिया जाना,

(चौदह) एच0आई0वी0/एड्स के नियंत्रण से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना,

(पन्द्रह) श्रम कानूनों के महत्वपूर्ण उपबन्धों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाना,

(सोलह) पुलिस के लिए वर्दी सम्बन्धी कपड़ों और उपस्करों का क्रय किया जाना और तत्सम्बन्ध में निविदा की कार्यवाही किया जाना,

(सत्रह) नालों/मवेशी–कुण्डों से सिल्ट निकालने का कार्य प्रारम्भ करना,

(अठ्ठारह) कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति प्रदान किया जाना,

(उन्नीस) मच्छरों के रोकथाम के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित किया जाना,

(बीस) चिकित्सकों का स्थानान्तरण/तैनाती,

(इक्कीस) न्यायालयों के आदेशों के अनुसरण में एक कारागार से दूसरे कारागार में अपराधियों को हटाया जाना,

(बाइस) खरीफ और रबी फसलों के लिए रासायनिक खाद के स्टॉक के लिए समिति गठित करना,

(तेईस) चिकित्सालयों के लिए ऐसी औषधियों तथा उपकरणों का क्रय किया जाना, जिनके लिए अनुदान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हों तथा निविदाएं पहले ही आमंत्रित की जा चुकी हों।

(चौबीस) युवाओं को सेवा में लेने के लिए भर्ती–रैली आयोजित किया जाना,

बशर्ते कि ऐसा कोई संकेत न दिया जाए या उत्पन्न किया जाए कि उक्त बात, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने की दृष्टि से की गई है। अग्रतर यह कि विज्ञापनों के मामले में मंत्री और राजनैतिक कार्यकर्ता की फोटो उनमें न लगाई जाए।

(16) सरकार आयोग से अनापत्ति प्राप्त किए बिना निम्नलिखित मामलों पर कार्यवाही नहीं कर सकती है और न ही उस पर कार्य कर सकती हैः–

(एक) आउट ऑफ टर्न पी0सी0ओ0/टेलीफोन कनेक्शनों के लिए, और निर्वाचन से पूर्व मंत्री द्वारा आदेशकृत विभिन्न दूरभाष परामर्शदात्री समितियों में सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए अनुमोदन/आदेशों का जारी किया जाना।

(दो) मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों के सूचनापट्ट पर अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्ति पत्र जारी करना।

(तीन) पात्र ऐच्छिक उपभोक्ता संगठनों के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान स्वीकृत किया जाना।

(पाँच) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (सेज) नियमावली और विनियमावली का क्रियान्वयन किया जाना।

(छः) विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित करने वाली "विभाग की उपलब्धि का वर्ष" शीर्षक वाली पुस्तिका का प्रकाशन किया जाना।

(सात) आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना, जो जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह योजना के अधीन एक बीमा योजना है, का क्रियान्वयन किया जाना।

(आठ) नेशनल कौंसिल फार टीचर्स एजूकेशन की जनरल कौंसिल तथा एक्जीक्युटिव कमेटी में केन्द्र सरकार का नामिनी नियुक्त किया जाना।

(नौ) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (Processed Food) के प्रजातिगत (Generic) विज्ञापनों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में और दृश्य एवं श्रव्य स्थानों पर विज्ञापनों का जारी किया जाना।

(दस) औषधीय क्षेत्र (Pharmaceutical Sector) के लिए नई प्रोत्साहन परिषद् गठित करने हेतु अधिसूचना का जारी किया जाना।

निर्वाचन पूरा होने तक उपर्युक्त कार्यों की प्रक्रिया को आस्थगित रखा जा सकता है।

(17) राज्य सरकार, आयोग से किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में Clarification/clearance/Approval हेतु अनुरोध कर सकती है।

7– <u>शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिएः–</u>

सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी निम्नलिखित आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

(क) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी से प्रभावित हुए निष्पक्ष होकर करेंगे।

(ख) कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी/कर्मचारी किसी भी सभा या आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे।

(ग) सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे।

(घ) किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

पी0एस0यू0पी0-221 न0नि0 निर्वाचन-9.3.2017-5,00,000 (डी0टी0पी0/आफसेट)।